डीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.

(A Government of India Enterprises)

5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001

Registered Office: 101 A, Rail Bhawan, New Delhi- 110001, Web: www.dfccil.org

No. HQ/PIO/RTI/210/14 **Dt: 22.09.2014**

Sh. Jata Shanker Pandey,
Advocate, Collectorate Compound,
Mirzapur.

Sub: Information under RTI Act- 2005.
Ref: Your application dt. 16.08.2014, received on 09.09.2014.

संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना निम्नलिखित है:–

1. अधिग्रहित भूमि का मुआवजा रेलवे (संशोधित) अधिनियम 2008 के तहत दिया जायेगा जो कि भूमि अध्याप्ति अधिकारी सिंचाई मीरजापुर (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा घोषित किया जायेगा। रेलवे एक्ट इण्टरनेट पर उपलब्ध है फिर भी यदि प्रति की आवश्यकता हो तो रू.16/– (रू.2 प्रति पेज की दर से 8 पेज) जमा करने पर दिया जा सकता है।
2. यह भूमि का अधिग्रहण दिनांक 23.09.2013 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख निम्नलिखि है:–
   1. 20ए – 10 पृष्ठ
   2. 20ई – 22 पृष्ठ
   3. जे.एम.एस. – 44 पृष्ठ
   4. विभिन्न पत्रों की प्रति – 10 पृष्ठ

   कुल –86 पृष्ठ – रू.2 प्रति पृष्ठ –2x86=172 रू. सीपीएम/इलाहाबाद (पूर्व) कार्यालय में जमा कराने के पश्चात् अभिलेख प्राप्त किया जा सकता है।

   भूमि उतनी ही अधिग्रहीत की जाती है जितना गजट में प्रकाशित किया जाता है। मौके पर यदि अधिक भूमि की आवश्यकता होती है तथा गजट में रकबा कम अंकित है वैसे केस में भौतिक सत्यापन करने के उपरांत यदि सही पाया गया तो गजट के द्वारा भूमि का पुनः अधिग्रहण किया जाता है।
3. 20ए प्रकाशित होने के एक साल के अंदर 20ई प्रकाशित किया जाता है। 20ई प्रकाशित होने के उपरांत एक साल के अंदर मुआवजा का एवार्ड घोषित किया जाता है। यदि किसी अपरिहार्य कारणवश 20ई के एक साल के अंदर अभिनिर्णय की घोषणा नहीं हो पाती तो सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त छः माह के अंदर कारण दर्शाते हुये तथा बढ़े हुये समय में कम से कम एवार्ड राशि में 5% प्रतिमाह का अतिरिक्त प्रतिकर घोषित कर सकते हैं।

   मुआवजा घोषित करने का अधिकार सिर्फ सक्षम प्राधिकारी जो कि मीरजापुर जिले के लिए, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) मीरजापुर हैं।
4. डी.एफ.सी.सी. द्वारा जनपद मीरजापुर में मुआवजा बांटने व सर्वे कार्य के लिए अलग से किसी समर्पित स्टाफ अथवा वाहन नियुक्त नहीं किया गया है जो भी स्टाफ अथवा वाहन इत्यादि नियुक्त किये गये है उनके कार्यक्षेत्र सिर्फ मीरजापुर जिला न होकर के अन्य जिले भी है तथा कार्य सिर्फ सर्वे मुआवजा बांटने न होकर के अन्य कार्य भी है। अतः इस विभाग द्वारा खर्च किए गये राशि का विवरण देना संभव नहीं है। मीरजापुर भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सिंचाई) द्वारा अभिनिर्णय राशि का 10% राज्य सरकार को दिया जाता है जो कि दिनांक 16.08.2014 तक रू. 9 करोड़ दिया गया है।
5. मुआवजा बाटने की धनराशि रेलवे विभाग द्वारा वहन की जाती है।

(Rajiv Bhatnagar)
DGM/PIO

Copy to: CPM/Allahabad (East)

DESPATCH
23/09/2014